By Speed Post

सत्यमेव जयते

No. Tour Report/01/Rajasthan/Member(HKD)/2018-RU-II
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
****

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Date:- 12.03.2018

To

The Commissioner,
Tribal Area Development Department,
Government of Rajasthan,
Udaipur, Rajasthan.

Sub:-Tour Report of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, NCST on 20.12.2017 to 31.12.2017 visited to District-Udaipur and District-Pratapgarh, Rajasthan regarding discussion of Tribal Sub Plan running in Udaipur, Dungarpur and Banswara-Districts and social and economical development & welfare for tribal students.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Tour Report from 20.12.2017 to 31.12.2017 of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes visited to District-Udaipur and District-Pratapgarh, Rajasthan on the above mentioned subject.

2. It is, therefore, requested to furnish the information/Action Taken Report to this Commission on the above said Tour Report.

Yours faithfully,

Encl: As above

(S.P. Meena)
Assistant Director
Tel: 24657271

Copy to:-

1. Shri T.P. Sharma, Vidya Bhawan Rural Institute, Badgoan Road, Udaipur-313001, Rajasthan.
2. M.L.V. Tribal Reasearch and Training Institute, Ashok Nagar Main Road, Udaipur, rajasthan.
3. Shri Jagdish Prasad Meena, Chairman, T.S.P. Sanghars Samiti, Chhotisadri, District-Pratapgarh, Rajasthan.
4. SAS, NIC, for uploading on the website of the Commission.

श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 20.12.2017 से 31.12.2017 तक राजस्थान राज्य के उदयपुर की राजकीय प्रवास रिपोर्ट।

1.	प्रवासित गणमान्य अथिति का नाम	श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
2.	प्रवास की तिथी	20.12.2017 से 31.12.2017
3.	प्रवास स्थल	जिला मुख्यालय – उदयपुर एवं प्रतापगढ़, राजस्थान
4.	मुख्य व्यक्ति / कार्यालय / संगठन जिनसे मुलाकात की गई।	1. विद्या भवन रूरल इन्टीट्यूट, उदयपुर 2. मणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर 3. जनजाति उपयोजना क्षेत्र संघर्ष समिति, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ 4. आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षैत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर 5. जनजाति प्रतिनिधि

दिनांक 21.12.2017

विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर द्वारा दिनांक 21.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे संस्थान में जनजाति उप योजना क्षेत्र (उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा) जिले के अध्ययनरत जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को भविष्य में अपने कैरियर, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन एवं व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सहभागिता की।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(3)

सदस्य महोदय ने अपने उद्‌बोधन में बताया की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े जनजातिय समुदायों के विद्यार्थी किस प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त कर राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में सहभागिता ले सकते है।

केन्द्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओ का लाभार्थी बनने में तथा विकास योजनाओं में जनजाति समुदाय के साथ यदि किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, तो जनजाति आयोग से न्याय प्राप्ति एवं समस्या निवारण में किस प्रकार सहयोग ले सकते है, इसकी जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ संविधान में अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त विशेष अधिकार एवम् कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया।

दिनांक–22.12.2017

दिनांक–22.12.2017 को माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के प्रबन्धन से जनजातिय शोध एवं संस्थान की कार्य प्रणाली के संदर्भ में बैठक की गई। संस्थान में चल रहे प्रथम एवम् द्वितीयस्तर के अध्यापकों हेतु परीक्षा पूर्व की कोंचिग ले रहे लगभग 200 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों से चर्चा में परीक्षा की तैयारी हेतु प्रेरित किया और कोंचिग की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

संस्थान के निदेशक ने अवगत कराया कि संस्थान को अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनजाति कल्याण निधि, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद में राशि प्राप्त होती है।प्रबन्धन द्वारा सस्थान की कार्य प्रणाली एवं प्रगति के संदर्भ में पावर पांइट स्लाईडस प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति अनुलग्नक–2 पर सलंग्न है।

संस्थान द्वारा जनजाति शिक्षार्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि के लिए 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तकनीकी एवं चिकित्सा सेवा पूर्व परीक्षा की तैयारी हेतु छात्रवृत्ति, कैरियर काउन्सिलिग, जनजाति विकास पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण आयोजन,नृत्य कला प्रदर्शन एवं संरक्षण, पुस्तक प्रकाशन, जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सस्थान की माह नवम्बर, 2017 (2017–18) का प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक–3 पर सलंग्न है। सस्थान द्वारा सचांलित कोंचिग योजना की वर्ष 2015–16 व 2016–17 का प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक–4 तथा सस्थान द्वारा प्रायोजित शोध अध्ययनों की सूची अनुलग्नक–5 पर सलंग्न है।

दिनांक–26.12.2017 को टी.एस.पी. संघर्ष समिति, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ के पदाधिकारियों ने भेंट की तथा अपना प्रतिवेदन दिनांक–22.12.2017 प्रस्तुत किया। जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुंसधान एकक–IIको भेज दिया गया है।

प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने दिनांक 09.12.2014 को घोषणा कर दिनांक 26.12.2014 को राज्य केबिनेट में प्रस्ताव तैयार छोटी सादड़ी तहसील को जनजातिय उपयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है, को शीघ्र करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नक–6 पर सलंग्न है।

दिनांक–28.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे आयुक्त कार्यालय जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर के कार्यालय में जनजातिय उपयोजना क्षेत्र में रिक्त चल रहे पदो, भर्ती प्रक्रिया, सीधी भर्ती व पदोन्नति में आरक्षण, रिक्त पदों में बैकलॉग की स्थिति तथा भर्ती नियमों पर चर्चा की। रिक्त पदों के चलते जहाँ विकास कार्यक्रम प्रभावित होते है, वहीं बेरोजगारी की वस्तुस्थिति भी उत्पन्न होती है। सस्थापना बजट का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

बैठक में सर्वप्रथम विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसकी प्रति अनुलग्नक–7 पर संलग्न है।

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रंमाक–एफ–1(बी) (3) (57) रा.अ.ज. आयोग/सीटीएडी/2018/3699 दिनांक–31/1/18 द्वारा अनुसूचित क्षैत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती/पदोन्नति में दिये गये आरक्षण के सम्बन्ध में उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर,

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(5)

उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर एवं जिला परिषद, उदयपुर की प्राप्त सूचना के अनुसार–

1. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर के अधीनस्थवरिष्ठ अध्यापक एवं शारिरिक शिक्षकों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत राज्य स्तर आरक्षण प्रतिशत 12%से भी कम है। मंत्रालयिक पदों में भी वस्तु स्थिति समान है।राज्य सरकार ने अपने विभिन्न आदेशों से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं को छोड़कर शेष सभी वर्गों की सेवाओं के लिए सीधी भर्ती एवम् पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण 45%किया गया है। इसकी पूर्ण पालना अभी तक नही हो पायी है। इसकी शत प्रतिशत पालना समस्त नियुक्ति अधिकारियों को की जानी चाहिए।
2. यही स्थिति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक समूह 'ख' व 'स' में भी है। आरक्षण नियमों की अनुपालना पूर्णतः नहीं की जा रही है।
3. जिला परिषद् द्वारा समूह 'स' के रिक्त पदों को तत्काल भरते हुए आरक्षण पूर्ण करने की आवश्यकता है। कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से प्राप्त सूचनायें अनुलग्नक –8 पर सलंग्न है।

विभागवार, श्रेणीवार स्वीकृत पद, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदो का विवरण अनुलंग्नक–9 पर संलग्न है।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक–04.07.2016 के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा विज्ञाप्ति/नियुक्ति की सूचना दिनांक–11.12.2017 अनुलग्नक–10 पर सलंग्न है। अधिसूचना के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धित तुलनात्मक सूचना अनुलग्नक–11पर सलंग्न है।

अधिसूचना के उपरान्त विभिन्न विभागों द्वारा की गई पदोन्नति की सूचना अनुलग्नक–12 पर उपलब्ध हैं।उदयपुर सम्भाग में रिक्त पदों की जिलेवार सूचना अनुलग्नक–13 पर सलंग्न है। विभिन्न विभाग द्वारा दिनांक–01.04.2010 के पश्चात् 12026 रिक्त पदों पर भर्ती की सूचना अनुलग्नक–14 पर सलंग्न है। राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 की क्रियान्विति की प्रगति का स्टेट्स नोट दिनांक–11.12.2017 अनुलग्नक–15 पर सलंग्न है।

राज्य सरकार को तत्काल बैकलॉग व रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े है। जनजाति क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद रिक्त रहने से क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है। अतः रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जाना आवश्यक है।

(अनुवृत्ति कार्यवाही राजस्थान सरकार द्वारा)

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi